न्यायालय रिपोर्ट **[2018] 10** एस**.**सी**.**आर**.**

आर**.**एस**.** सहरावत

बनाम

राजीव मल्होत्रा एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या **684, 2006)**

सितम्बर **05, 2018**

[दीपक मिश्रा**,** मुख्य न्यायाधीश और ए**.** एम**.** खानविलकर**,** न्यायाधीश **]**

[न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 धारा 19(1)(बी)

न्यायालय की अवमानना**-अनाधिकृत निर्माणों का पुनर्निर्माण** - तथ्यों पर, प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका में अपीलकर्ता-जूनियर इंजीनियर और विध्वंस की घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया गया कि उन्होंने पहले संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण करने की अनुमति दी थी और बाद में एकतरफा संरचना को ध्वस्त कर दिया - अनधिकृत कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माणों को रोकने वाली जनहित याचिका में पहले के आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: कार्रवाई - अपीलकर्ता को नोटिस जारी करना - अपीलकर्ता और अन्य अधिकारियों द्वारा हलफनामे दाखिल करना - अपीलकर्ता को न्यायालय की अवमानना के लिये दोषसिद्ध करते हु यह पाया गया कि जूनियर इंजीनियर द्वारा झूठा शपथपत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया और उसके कार्य वास्तव में न्याय के उचित क्रम में हस्तक्षेप करने की प्रवत्ति के थे । अपीलकर्ता को कोई विशेष आरोप तो दूर किसी भी आरोप से तलब नहीं कराया गया था जिसे पूरा करने की उससे अपेक्षा की गई हो - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए समसामयिक रिकॉर्ड को सत्यापित या जांचने का कोई प्रयास नहीं किया - उच्च न्यायालय को समसामयिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और सत्यता का परीक्षण करना चाहिए था - इस प्रकार दायर किया गया शपथ पत्र गलत या भ्रामक नही कहा जा सकता है- यह नहीं माना जा सकता है कि किया गया विध्वंस कार्य अपीलकर्ता द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत समसामयिक कार्यालय प्रस्तुतियाँ/रिकॉर्ड और तस्वीरों में परिलक्षित स्थिति के अनुरूप नहीं था- इस प्रकार उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस हटा दिये गये ।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

अवधारित किया: 1.1 यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की क्योंकि प्रथम दृष्टया यह आश्वस्त था कि रिट याचिका निर्देश के बावजूद फार्मों में अनधिकृत निर्माण किया गया था। आदेश में यह भी दर्ज है कि कारण बताओ नोटिस अदालत में मौजूद अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अपीलकर्ता ने, अन्य अधिकारियों की तरह, अपने संबंध में प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करते हुए अपना हलफनामा दायर किया। अपीलकर्ता ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे सौंपे गए कार्य के अनुसार प्रासंगिक अवधि के दौरान फार्मों में अनधिकृत संरचनाओं के विध्वंस की कार्रवाई के बारे में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की थी और उस तथ्य की रिपोर्ट समसामयिक कार्यालय प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपने वरिष्ठों को दी थी। उक्त समसामयिक कार्यालय रिपोर्टों की सत्यता पर न तो सवाल उठाया जा सकता है और न ही उस पर संदेह किया जा सकता है। उत्तर हलफनामे से यह स्पष्ट होता है कि निगम के आयुक्त व्यक्तिगत रूप से अनधिकृत निर्माणों के सी विध्वंस कार्य की निगरानी कर रहे थे और इसलिए, विध्वंस के तथ्य को मजबूत करने वाले कार्यालय प्रस्तुतियों और तस्वीरों के रूप में समसामयिक रिकॉर्ड पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। हालाँकि, अधिवक्ताओं की समिति की रिपोर्ट 7 जून, 2000 से 6 महीने से अधिक और 14 सितंबर, 2000 से 3 महीने के अंतराल के बाद जनवरी, 2001 में किए गए साइट के दौरे पर आधारित थी, जब वास्तव में विध्वंस किया गया था। इसलिए, उक्त रिपोर्ट में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति, विध्वंस की तिथि पर प्राप्त वास्तविक स्थिति नहीं हो सकती है। इस बात से इनकार नही किया जा सकता कि इस तरह की अनधिकृत संरचनाओं का अधिकारियों द्वारा विध्वंस के बाद रातोंरात पुनर्निर्माण किया जा सकता है । यह बेईमान व्यक्तियों द्वारा गुप्त रूप से और बिना किसी सूचना के किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति से यह भी पता चलता है कि ध्वस्त की गई संरचनाओं सहित अनधिकृत संरचनाओं के संबंध में निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता को दिनांक 01.12.2017 से संबंधित वार्ड से स्थानांतरित कर दिया गया था। 27 सितंबर, 2000 और उस तारीख के बाद होने वाले किसी भी विकास या अवैध गतिविधि के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया है. [पैरा 9]

सहदेव उर्फ सहदेव सिंह वि. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ***(2010) 3*** *एससीसी* ***705: [2010] 2*** *एससीआर* ***1086;***

मुथु करुप्पन, पुलिस आयुक्त, चेन्नई बनाम परिथी इलमवाज़ुथी और अन्य। ***(2011) 5*** *एससीसी* ***496: [2011] 5*** *एससीआर* ***329;***

मृत्युंजय दास और अन्य. वी सैयद हसीबुर रहमान एवं अन्य ***(2001) 3*** *एससीसी 739:* ***[2011] 5*** *एससीआर* 471***;***

1.2 रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर उचित संदेह से परे यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता ने 27 सितंबर, 2000 से पहले या बाद में अनधिकृत संरचना के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता को विशिष्ट आरोप तो दूर किसी भी आरोप से तलब नहीं किया गया था जिसे पूरा करने की उससे अपेक्षा की गई हो । फिर भी, आक्षेपित निर्णय में अंतिम निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता के कृत्य न्याय के उचित पाठ्यक्रम में काफी हद तक हस्तक्षेप करते हैं और गलत हलफनामा दायर करने के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना करने के समान हैं। उच्च न्यायालय ने अपनी दलील के समर्थन में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए समसामयिक रिकॉर्ड को सत्यापित या जांचने का कोई प्रयास नहीं किया कि उसके द्वारा दायर हलफनामे में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति उक्त रिकॉर्ड से सामने आई और पुष्ट हुई। अधिवक्ता समिति की रिपोर्ट, जो पहले विध्वंस की तारीख से 6 महीने और दूसरे विध्वंस के 3 महीने के अंतराल के बाद तैयार की गई थी, पर भरोसा करके दायर किए गए हलफनामे को गलत या भ्रामक नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 12]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष कि जनवरी, 2001 में तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति को जमींदोज नहीं किया गया था, इसलिए, सही दृष्टिकोण नहीं है और स्पष्ट रूप से गलत है। उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता द्वारा दी गई कार्यालय प्रस्तुतियाँ, मिसल बैंड रजिस्टर, कार्यालय फाइलें, नोटिस, फोटोग्राफ और प्रेस रिपोर्ट आदि के रूप में समसामयिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और सत्यता का परीक्षण करना चाहिए था। यह अलग बात होगी यदि समसामयिक रिकॉर्ड अपीलकर्ता द्वारा दायर हलफनामों में अपनाए गए रुख का समर्थन नहीं करता है। वास्तव में, अपीलकर्ता को पहले ही विभागीय जांच का सामना करना पड़ा है, जिसमें आवेदक द्वारा की गई दलील को सही पाया गया है और इस मामले का विस्तृत निपटारा किया गया है । [पैरा 13]

1.4 अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए विशिष्ट रुख पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने समीक्षा याचिका में शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह मानना संभव नहीं है कि 7 जून, 2000 और 14 सितंबर 2000 को किया गया विध्वंस कार्य अपीलकर्ता द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत समसामयिक कार्यालय प्रस्तुतियाँ/रिकॉर्ड और तस्वीरों में प्रतिबिंबित स्थिति के अनुरूप नहीं था। वास्तव में, अपीलकर्ता को एकमात्र आधार पर सफल होना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने औपचारिक आरोप तय किए बिना या उसे ऐसे आरोप प्रस्तुत किए बिना उसके खिलाफ अनुचित तरीके से कार्यवाही की; और इससे भी अधिक, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा हलफनामा दाखिल करना समसामयिक आधिकारिक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित था, जिसे न्याय प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 16, 17]

1.5 दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस हटा दिए जाते हैं। [पैरा 18]

केस कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर 1086	सन्दर्भ	पैरा 11
[2011] 5 एससीआर 329	सन्दर्भ	पैरा 11
[2001] 2 एससीआर 471	सन्दर्भ	पैरा 11

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की आपराधिक अपील संख्या 684

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.06.2001 से सी.एम.नम्बर 820 / 2001 के सीडब्ल्यूपी क्रमांक 6734 / 2000 और आदेश दिनांक 10.05.2006। क्रमशः 6600/ 2001 और सीडब्ल्यूपी 6734 / 2000।

K. Radhakrishnan, A.C., Ashok Kumar Panda, Sr. Advs., Ashok Mathur, Ms. Asha G Nair, R. K. Rathore, Mrs. R. Bhardwaj, Raj Bahadur, Mrs. Anil Katiyar, P. Parmeswaran, Praveen Swarup, V. K. Verma, Advs. for the appearing parties.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए. एम. खानविलकर, न्यायाधीश

1. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 (1) (बी) के तहत तत्कालीन अपील, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की डिवीजन बेंच द्वारा 2001 की एम ८२० में २००० की सी. डब्ल्यू. पी. ६७३४ दिनांक 1 जून 2001 एवं 2001 की आर.ए. क्रमांक ६६००, २००० की सी डब्ल्यू पी क्रमांक ६७३४ दिनांक १० मई २००६ में पारित निर्णय और आदेशों की आलोचना करती है जिसके तहत अपीलकर्ता को झूठा हलफनामा दाखिल करने और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया है । इस प्रकार उसने अपने क़त्यों द्वारा जो इस प्रकार के थे कि न्याय के उचित क्रम में हस्ताक्षेप करके न्यायालय की अवमानना की है । अपीलकर्ता को 30 (तीस) दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास और 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार) का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। उक्त फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका 10 मई, 2006 को खारिज कर दी गई।

2. संक्षेप में कहा गया है, अपीलकर्ता दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी क्रमांक 1) ने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता और पुलिस अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों ने, अपने कमीशन और चूक के कृत्य से, पहले रिट याचिकाकर्ता को प्लॉट क्रमांक 37 वाली संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण करने की अनुमति दी थी। जिसका माप 834 वर्ग यार्ड अशोक एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली और बाद में एकतरफा रूप से उक्त संरचना को ध्वस्त कर दिया। यह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 6734 में की गई शिकायत थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने संरचना के विध्वंस की कथित घटना में शामिल अपीलकर्ता और पुलिस अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रार्थना की थी। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जनहित याचिका क्रमांक 7441/1993 दिनांक 3 नवंबर, 1997 जिसमें अनधिकृत कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाते हुए जारी किये गये निर्देश का हवाला देते हुए वर्तमान रिट याचिका में 6 दिसंबर, 2000 को एमसीडी के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जो प्रतिवादी क्रमांक के प्लाट पर जिस समय निर्माण किया था सेवा में तैनात थे, इस उददेश्य से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया कि वह कारण बताये कि क्यों उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जानी चाहिए।

3. नोटिस प्राप्त होने के बाद, अपीलकर्ता, साथ ही अन्य अधिकारी, ने अपना-अपना हलफनामा दाखिल किया. अपीलकर्ता ने अपना विस्तृत हलफनामा 3 जनवरी, 2001 को दायर किया , जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों से उच्च न्यायालय द्वारा 3 नवंबर, 1997 को जारी निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा प्राथमिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए की गई थी | जहां तक कनिष्ठ अभियंता के रूप में उनकी भूमिका का संबंध है, अपीलकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने समय-समय पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य का निर्वहन किया और इस संबंध में उन्हें अनुपालन रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने 7 मार्च, 2000 और 27 सितंबर, 2000 के बीच अकेले सैनिक फार्म में 14 बड़ी विध्वंस कार्रवाई की थी और इन निर्माणों को जमींदोज कर दिया था। यह दावा किया गया कि रिट याचिकाकर्ता ने पहले के मौकों पर की गई विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उसी स्थान पर अवैध रूप से इमारत का निर्माण किया। इस तर्क के समर्थन में कि उन्होंने संबंधित संरचना के विध्वंस का सहारा लिया था, उन्होंने अपने वरिष्ठों को उनके द्वारा किए गए कार्यालय प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ विध्वंस अभियान से पहले और बाद में ली गई संरचनाओं की तस्वीरों पर भरोसा किया। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए रुख का प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विरोध किया। तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने के लिए, उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2001 के

आदेश के तहत साइट का निरीक्षण करने और तथ्य खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ताओं की एक समिति नियुक्त की। वह रिपोर्ट 23 जनवरी, 2001 को अधिवक्ताओं की समिति द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गई थी |

4. उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी, 2001 के आदेश के तहत अपनी प्रथम दृष्टया राय दर्ज करने के बाद अपीलकर्ता सहित संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाए और दंडित किया जाए। उक्त आदेश के बाद, अपीलकर्ता ने 8 फरवरी, 2001 को एक और हलफनामा दायर किया और पहले के हलफनामे में अपनाए गए रुख को दोहराया और 7 जून, 2000 और 14/15 सितंबर, 2000 को विध्वंस के बाद उसी स्थान पर पुनर्निर्माण की संभावना की स्थिति भी बताई। । अपीलकर्ता ने रिपोर्ट और विध्वंस की तस्वीरों जैसे समसामयिक साक्ष्यों पर भी भरोसा किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से प्रभावित नहीं हुआ और 3 जनवरी, 2001 को झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध की दोषसिद्धि को स्थापित करने के लिये आगे बढा । अपीलकर्ता ने एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे 10 मई, 2006 को खारिज कर दिया गया। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील के माध्यम से दोनों आदेशों को चुनौती दी है।

5. अपीलकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि कोई उचित आरोप तय नहीं किया गया और अपीलकर्ता को सूचित नहीं किया गया। संभवतः सी.डब्ल्यू.पी. 7441/1993 दिनांक 3 नवंबर 1997 में दिए गए निर्देश का अनुपालन न करने के कारण 6 दिसंबर, 2000 के आदेश के संदर्भ में अपीलकर्ता को पहला कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जबकि 24 जनवरी, 2001 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता को जारी किया गया दूसरा कारण बताओ नोटिस 3 जनवरी, 2001 को एक गलत और भ्रामक हलफनामा दायर करने के लिए था। अपीलकर्ता ने 3 जनवरी, 2001 के अपने हलफनामे और आगे के हलफनामे दिनांक 8 फरवरी, 2001 में तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा किया था। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त शपथपत्रों में बताई गई स्थिति का बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं किया गया इसके उचित परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्ज तथ्यात्मक स्थिति से प्रभावित होकर, अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण कि प्रश्नगत अनधिक़त संरचना 7 जून, 2000 और फिर 14/15 सितंबर, 2000 को ध्वस्त कर दी गई थी, को पूरी तहर से नजरअंदाज करते हुए अपराध में दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए आगे बढा। कार्यालय प्रस्तुतीकरण, प्रेस रिपोर्ट और तस्वीरों के रूप में विध्वंस की विस्तार के बारे में समसामयिक रिकॉर्ड भी उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। हालाँकि, इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि 8 फरवरी, 2001 के हलफनामे में समाचार चैनलों द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में एक विशेष खुलासा किया गया था और वीडियो क्लिपिंग चलाने की स्वतंत्रता मांगी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस अनुरोध पर विचार बिल्कुल भी नहीं किया। विध्वंस और अधिवक्ताओं की समिति द्वारा निरीक्षण के बीच की समय अवधि काफी होने के कारण, प्रश्न में संरचनाओं के पुनर्निर्माण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 1 और प्रतिवादी क्रमांक 1 के कारण का समर्थन करने वाले एमिकस क्यूरी, हालांकि, यह तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दृष्टिकोण या निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है।

7. हमने अपीलकर्ता के वकील श्री अशोक माथुर, एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक कुमार पांडा को सुना है।

8. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 दिसंबर, 2000 के आदेश के अनुसार शुरू की गई थी। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

.....

> वर्तमान याचिका में, सैनिक फार्म में अनधिकृत निर्माण किया गया था जो एक अनधिकृत कॉलोनी है। यह है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने जुलाई 2000 में अशोक एवेन्यू, सैंकी फार्म, नई दिल्ली में 834 वर्ग मीटर के प्लॉट क्रमांक 37 सी पर निर्माण शुरू कर दिया था। इमारत को बनने की अनुमति दी गई और जब यह पूरा होने वाला था तो 30.10.2000 को इसे ध्वस्त कर दिया गया। हम यह समझने में विफल हैं कि जुलाई 2000 से अक्टूबर 2000 तक भवन निर्माण गतिविधि की अनुमति/अनुमति कैसे दी जा सकती है, जब इस अदालत का 3 नवंबर, 1997 का आदेश लागू था। प्रथम दृष्टया हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन इमारत

तब तक नहीं बन सकती थी जब तक कि एमसीडी और पुलिस के संबंधित अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत नहीं की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसने निर्माण कार्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यालयों को रिश्वत दी। उन्होंने उन अधिकारियों के नाम बताए हैं.

इन परिस्थितियों में, हम एमसीडी और पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं, जो संबंधित भूखंड पर निर्माण के समय तैनात थे, यह बताने के लिए कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

1. श्री आर एस शेरावत (जेई) एमसीडी
2. श्री यू एस चौहान (जेई) एमसीडी
3. श्री एस.आर. भारद्वाज, ए.ई. साउथ जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी।
4. श्री पूरन सिंह रावत , बेलदार, MCD
5. श्री राकेश , बेलदार, एमसीडी
6. श्री मनमोहन, एस आई चौकी प्रभारी, सैनिक फार्म
7. श्री वी.के. मल्होत्रा, पूर्व. इंजीनियर एमसीडी
8. श्री वीर सिंह , एस एच ओ

उपरोक्त अधिकारी उपस्थित हैं और वे नोटिस स्वीकार करते हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। रिट याचिका में दलीलें अगली तारीख से पहले पूरी की जाएं।"

9. इस आदेश का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की क्योंकि प्रथम दृष्टया यह आश्वस्त था कि सीडब्ल्यूपी में 3 नवंबर, 1997 के आदेश क्रमांक 7441/1993 में निहित निर्देश के बावजूद सैनिक फार्म में अनधिकृत निर्माण किया गया था। आदेश में यह भी दर्ज है कि कारण बताओ नोटिस कोर्ट में उपस्थित अधिकारीयों ने स्वीकार कर लिया गया था | अपीलकर्ता ने, अन्य अधिकारियों की तरह, 3 जनवरी, 2001 के हलफनामे के माध्यम से अपने संबंध में प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करते हुए अपना हलफनामा दायर किया। अपीलकर्ता ने प्रासंगिक अवधि के दौरान सैनिक फार्म में अनधिकृत संरचनाओं के विध्वंस की कार्रवाई के बारे में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की थी। उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे सौंपा गया कार्य और समसामयिक कार्यालय प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उस तथ्य की रिपोर्ट अपने वरिष्ठों को देना। उक्त समसामयिक कार्यालय रिपोर्टों की सत्यता पर न तो सवाल उठाया जा सकता है और न ही उस पर संदेह किया जा सकता है। उत्तर हलफनामे से यह स्पष्ट होता है कि निगम के आयुक्त व्यक्तिगत रूप से अनधिकृत निर्माणों के विध्वंस कार्य की निगरानी कर रहे थे और इसलिए, विध्वंस के तथ्य को मजबूत करने वाले कार्यालय प्रस्तुतियों और तस्वीरों के रूप में समसामयिक रिकॉर्ड पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। हालाँकि, अधिवक्ताओं की समिति की रिपोर्ट 7 जून, 2000 से 6 महीने से अधिक और 14 सितंबर, 2000 से 3 महीने के अंतराल के बाद जनवरी, 2001 में किए गए साइट के दौरे पर आधारित थी, जब वास्तव में विध्वंस किया गया था। इसलिए, उक्त रिपोर्ट में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति, विध्वंस की तारीख यानी 7 जून, 2000 और 14 सितंबर, 2000 को प्राप्त वास्तविक स्थिति नहीं हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी अनधिकृत संरचनाओं का पुनर्निर्माण रातो रात किया जा सकता था और ध्वस्तीकरण का कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह बेईमान व्यक्तियों द्वारा गुप्त रूप से और बिना किसी सूचना के किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति से यह भी पता चलता है कि ध्वस्त की गई संरचनाओं सहित अनधिकृत संरचनाओं के संबंध में निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता को दिनांक 27 सितंबर, 2000 से संबंधित वार्ड से स्थानांतरित कर दिया गया था। 27 सितंबर, 2000 और उस तारीख के बाद होने वाले किसी भी विकास या कानूनी गतिविधि के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया है.

10. इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता ने यह तथ्य भी रिकॉर्ड में लाया है कि उसे निम्नलिखित तीन आरोपों के लिए अपने कृत्यों और चूक के संबंध में समान तथ्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था:

"श्री आर.एस. शेरावत ने भवन निर्माण विभाग, दक्षिण क्षेत्र में जेई (बी) के रूप में कार्य करते हुए और 07.03.2000 से 27.09.2000 तक सैनिक फार्म के क्षेत्र के प्रभारी रहे, सकल निम्नलिखित मामलों में कदाचार:

1. उसने मालिक/बिल्डरों के साथ मिलकर उन्हें प्लाट नम्बर 37-सी, 49, एच-541, सैनिक फार्म में अनाधिकृत निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से पूरा करने की अनुमति दी और प्रारंभिक/चल रही अवस्था में ही इसे रोकने/ध्वस्त करने की प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

2. उन्होंने डीएमसी की धारा 343/344 के तहत विध्वंस कार्रवाई से बचने के लिए सैनिक फार्म में उक्त अनधिकृत निर्माण को बुक नहीं किया।

3. उन्होंने उच्च न्यायालय में गलत हलफनामा भी प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि P.No.49 और H-541, सैनिक फार्म में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन वे अभी भी साइट पर मौजूद पाए गए थे।

इस प्रकार, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया उन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 (1) (i) (ii) और (iii) का उल्लंघन किया। विशेष रूप से, अपीलकर्ता के रुख का समर्थन करने वाले सभी आधिकारिक रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को उक्त जांच में दोषमुक्त कर दिया गया है।

11. जैसा भी हो, अवमानना कार्यवाही से संबंधित कानून को सहदेव उर्फ **सहदेव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** और अन्य के मामले में पैराग्राफ 27 में के रूप में बहाल किया गया है:

"27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को संक्षेप में कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के पास न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है। हालांकि, अवमानना कार्यवाही प्राकृतिक रू से अर्ध-आपराधिक है। अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही सबूत के समान मानक की आवश्यकता होती है। कथित अवमाननाकर्ता संदेह के लाभ सहित आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों/अधिकारों की सुरक्षा का हकदार है। मामले को उक्त प्रावधान के दायरे में लाने के लिए जानबूझकर एक पक्ष द्वारा न्याय प्रशासन में बाधा डालने का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है । कथित अवमाननाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि क्या आरोप है। कथित अवमाननाकर्ता पूछ सकता है अदालत उसे उन गवाहों यानी शपथपत्रों के अभिसाक्षी से जिरह करने की अनुमति दे, जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी है। इस तथ्य के बावजूद कि अवमानना कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "सीआरपीसी" कहा जाएगा) और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान इस कारण से लागू नहीं होते हैं क्योंकि कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार, मुकदमे को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। मामला केवल अनुमानों और संभावनाओं पर नहीं टिकना चाहिए। कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बनाए गए वैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए।"

हम विचाराधीन मुद्दे से निपटने वाले दो अन्य निर्णयों का उपयोगी उल्लेख कर सकते हैं। **मुथु करुप्पन, पुलिस आयुक्त, चेन्नई बनाम परिथी इलमवाज़ुथि और अन्य, के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:**

"15. झूठा हलफनामा दायर करके झूठी गवाही देना एक बुराई है जिसे मजबूत एवं प्रभावी ढंग से रोका जाना चाहिए। अभियोजन का आदेश तब दिया जाना चाहिए जब अपराधी को दंडित करना न्याय के हित में समीचीन समझा जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला किसी ठोस मुद्दे पर 'जानबूझकर झूठ' बोलना और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप के लिए उचित आधार है।"

"17. अवमानना कार्यवाही प्राकृतिक रूप में अर्ध-आपराधिक होने के कारण, सबूत का बोझ और मानक वही है जो आपराधिक मामलों में आवश्यक है। आरोपों को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए वैधानिक नियमों के अनुसार तय किया जाना चाहिए और उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। कि कथित अवमाननाकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है। कानून केवल संभावनाओं के आधार पर अवमानना कार्यवाही में कोई सजा देने की अनुमति नहीं देता है, उसी तरह, अदालत बिना किसी आधार के केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर कथित अवमाननाकर्ता को दंडित नहीं कर सकती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अवमानना कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होने के कारण ऐसी कार्यवाही में लागू नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।"

मृत्युंजय दास और अन्य वि सैयद हसीबुर रहमान और अन्य में इस न्यायालय ने यह पाया:

"14. इस समय मामले के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी, सबूत के मानक का बोझ। आम अंग्रेजी वाक्यांश 'वह जो दावा करता है उसे साबित करना होगा', आरोपों के सबूत के मामले में इसका उचित अनुप्रयोग है ऐसा कहा जाता है कि यह अवमानना का कार्य है। जहां तक 'सबूत के मानक' का संबंध है, यह

ध्यान दिया जाना चाहिए कि अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अदालत के असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत यह कार्यवाही अर्ध-आपराधिक है, और इस प्रकार, आवश्यक सबूत का मानक एक आपराधिक कार्यवाही का है और उल्लंघन को उचित संदेह से परे स्थापित करना होगा..."

12. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए उचित संदेह से परे यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता ने 27 सितंबर, 2000 से पहले या बाद में अनधिकृत संरचना के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता को कोई विशेष आरोप तो दूर, कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था, जिसे पूरा करने की उससे अपेक्षा की गई थी । फिर भी, आक्षेपित निर्णय में अंतिम निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता के कृत्य न्याय के उचित पाठ्यक्रम में काफी हद तक हस्तक्षेप करते हैं और गलत हलफनामा दायर करने के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना करने के समान हैं। उच्च न्यायालय ने अपनी दलील के समर्थन में अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए समसामयिक रिकॉर्ड को सत्यापित या जांचने का कोई प्रयास नहीं किया कि उसके द्वारा दायर हलफनामे में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति उक्त रिकॉर्ड से सामने आई और पुष्ट हुई। इस प्रकार दायर किए गए हलफनामे को अधिवक्ता समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करके गलत या भ्रामक नहीं कहा जा सकता है, जो पहले विध्वंस की तारीख 7 जून, 2000 से 6 महीने और दूसरे विध्वंस की तारीख 14 सितम्बर, 2000 से 3 महीने के अंतराल के बाद तैयार की गई थी ।

13. इसलिए, जनवरी, 2001 में तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि संपत्ति को जमींदोज नहीं किया गया था, सही दृष्टिकोण नहीं है और स्पष्ट रूप से गलत है। उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यालय प्रस्तुतियाँ, मिसल बैंड रजिस्टर, कार्यालय फाइलें, नोटिस, फोटोग्राफ और प्रेस रिपोर्ट आदि के रूप में समसामयिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और सत्यता का परीक्षण करना चाहिए था, यह एक अलग मामला होगा यदि समसामयिक रिकॉर्ड अपीलकर्ता द्वारा क्रमशः 3 जनवरी, 2001 और 8 फरवरी, 2001 को दायर हलफनामे में अपनाए गए रुख का समर्थन नहीं करता है। वास्तव में, अपीलकर्ता को पहले ही विभागीय जांच का सामना करना पड़ा है, जिसमें आवेदक द्वारा की गई दलील को सही पाया गया है और इस मामले का विस्तृत निपटारा किया गया है ।

14. जैसा भी हो, अपीलकर्ता को 24 जनवरी, 2001 के आदेश के संदर्भ में जारी नोटिस के संदर्भ में दोषी पाया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी बताया कि श्री आर.एस. सहरावत के हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि संपत्ति संख्या 49 और एच-541 को क्रमशः 7 जून, 2000 और 14 सितंबर, 2000 को ध्वस्त कर दिया गया था। श्री अवस्थी ने इन संपत्तियों की तस्वीरें दिखाई हैं । तस्वीरों से ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्तियां बरकरार हैं और उन्हें ध्वस्त नहीं किया गया है, इसलिए हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि श्री सहरावत ने भी सच्चाई के साथ स्वतंत्रता ली है। श्री यू.एस. चौहान और श्री आर.एस. शेरावत (दोनों कनिष्ठ अभियंता एमसीडी) को कारण बताओ नोटिस जारी करें कि उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दोषी क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। जवाब में हलफनामा 6 फरवरी, 2001 तक दाखिल किया जाए।"

15. अपीलकर्ता को दिए गए दूसरे नोटिस के जवाब में, उसने 8 फरवरी, 2001 को एक और हलफनामा दायर कर निम्नानुसार आग्रह किया:

"3. यह कि अभिसाक्षी ने प्रस्तुत किया है कि अभिसाक्षी ने कोई गलत हलफनामा दायर नहीं किया था, न ही इस माननीय न्यायालय के समक्ष 3.1.2001 को शपथ पत्र दाखिल करते समय अभिसाक्षी ने सत्य के साथ स्वतंत्रता ली थी। मैं कहता हूं कि दिनांक 24.1.2001 के आदेश में , अभिसाक्षी के अनुसार यह दर्ज किया गया है कि संपत्ति संख्या 49 और एच-541, जिन्हें अभिसाक्षी द्वारा 7.6.2000 और 14.9.2000/15.9.2000

को ध्वस्त कर दिया गया था, इस माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट और इन संपत्तियों की तस्वीरों के अनुसार ध्वस्त नहीं की गई थीं।

4. यह कि अभिसाक्षी यह प्रस्तुत करता है कि संपत्ति क्रमांक 49 दिनांक 7.6.2000 को ध्वस्त कर दिया गया और मौजूदा इमारत की विध्वंस से पहले और विध्वंस के बाद की तस्वीरों की फोटो प्रतियां अभिसाक्षी द्वारा दायर हलफनामा 3.1.2001 के साथ दायर किया जा चुका है मैं आगे कहता हूं कि प्रेस को 7.6.2000 को सैनिक फार्म में किए जाने वाले विध्वंस की पूर्व सूचना थी और प्रेस फोटोग्राफर और रिपोर्टर सैनिक फार्म में थे। 49, सैनिक फार्म में ध्वस्त इमारत की तस्वीर कुछ समाचार पत्रों के फोटोग्राफरों ने ली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, संस्करण दिनांक 8.6.2000 में ध्वस्त संरचना दिखाई गई। यह स्वतंत्र साक्ष्य है जो अभिसाक्षी के रुख की पुष्टि करता है। मैं आगे बताता हूं कि दूरदर्शन की वीडियो टीम ने 49 सैनिक फार्मों के विध्वंस का वीडियो टेप किया था और क्लिपिंग 7.6.2000 को रात 10 बजे "आज तक" कार्यक्रम में दिखाई गई थी। मैं इस माननीय न्यायालय से 7.6.2000 को प्रसारित आज तक कार्यक्रम के लिए तैयार की गई वीडियो फिल्म को दूरदर्शन प्राधिकारियों से तलब करने की प्रार्थना करता हूं। मैं कहता हूं कि संपत्ति के मालिक ने पहले विध्वंस के बाद इसका पुनर्निर्माण किया है। मैं कहता हूं कि जैसा कि मेरे द्वारा अभिसाक्षी द्वारा दायर पहले हलफनामे में कहा गया था, मुझे 27.9.2000 के बाद सैनिक फार्म के लिए जूनियर इंजीनियर का काम नहीं सौंपा गया था और उसके बाद ही संरचना को फिर से खड़ा किया गया है। मैं कहता हूं कि सैनिक फार्म के प्रभारी कनिष्ठ अभियंता के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान केवल एक संपत्ति संख्या 49 सैनिक फार्म थी, जिसे मेरे द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था।

5. जहां तक संपत्ति संख्या एच-541, सैनिक फार्म का संबंध है, मैं कहता हूं कि समिति की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि, 29.1.2001 को, मैंने उक्त संपत्ति की साइट का दौरा किया और बताया कि मेरे द्वारा पहले किए गए विध्वंस के बाद उक्त संपत्ति का पुनर्निर्माण भी किया गया है। मैं कहता हूं कि पुनर्निर्मित संपत्ति अभी भी परिष्करण की प्रक्रिया में है और संपत्ति में पेंटिंग का काम अभी भी चल रहा है। मैं कहता हूं कि इस माननीय न्यायालय द्वारा समिति के सदस्यों से तुरंत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया जाना चाहिए कि क्या इमारतों को रंगने की प्रक्रिया चल रही है या हाल ही में पूरा किया गया है और चित्रित किया गया है क्योंकि वही इसके पुनर्निर्माण को दिखाएगा और साबित करेगा। मैंने अपने पहले के शपथ पत्र के साथ मेरे द्वारा ध्वस्त की गई संपत्ति को दिखाने वाली तस्वीरें पहले ही दाखिल कर दी हैं।

6. मैं यह कहता हूं जैसा कि मैंने पहले ही दायर अपने हलफनामे में कहा है इस माननीय न्यायालय के समक्ष 3.1.2001 को आयुक्त, निगम सैनिक फार्म की गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहा था और जोन के जोनल इंजीनियर और कार्यकारी इंजीनियर भी मेरे द्वारा किए गए विध्वंस कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे थे। उक्त जोनल अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं की रिपोर्ट भी मंगायी जाये.

7. मैं कहता हूं कि मुझे प्रेस फोटोग्राफरों, दूरदर्शन टीम, जिसने 7.6.2000 को विध्वंस का वीडियो टेप किया था, के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए और साथ ही जोनल इंजीनियर और कार्यकारी अभियंता के साक्ष्य यह साबित करने के लिए दिए जाने चाहिए कि मैंने ही विध्वंस किया था। मैंने कोई हलफनामा दायर नहीं किया है और न ही सच्चाई के साथ स्वतंत्रता ली है।"

16. अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए इस विशिष्ट रुख पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने यह शिकायत समीक्षा याचिका में की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी राय में, यह मानना संभव नहीं है कि 7 जून, 2000 और 14 सितंबर 2000 को किया गया विध्वंस कार्य अपीलकर्ता द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत समसामयिक कार्यालय प्रस्तुतियाँ/रिकॉर्ड और फोटोग्राफ में परिलक्षित स्थिति के अनुरूप नहीं था।

17. वास्तव में, अपीलकर्ता को एकमात्र आधार पर सफल होना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने औपचारिक आरोप तय किए बिना या उसे ऐसे आरोप प्रस्तुत किए बिना उसके खिलाफ अनुचित तरीके से कार्यवाही की, और इसके अलावा क्योंकि

अपीलकर्ता द्वारा हलफनामा दायर करना ई समकालीन द्वारा समर्थित था आधिकारिक रिकॉर्ड, जिसे न्याय प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास नहीं कहा जा सकता है। तदनुसार, यह अपील सफल होनी चाहिए।

18. उपरोक्त के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश क्र. सी.एम. न. 820/2001 सी.डब्लू.पी. क्रमांक 6734/2000 दिनांक 1 जून 2001 एवं आर.ए. न. 6600/2001 सी.डब्लू.पी. क्रमांक 6734/2000 दिनांक 10 मई, 2006 को रद्द कर दिया गया है और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 6 दिसंबर, 2000 और दिनांक 24 जनवरी, 2001 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस हटा दिये गये हैं उपरोक्त शर्तों के तहत अपील की अनुमति है ।

अपील स्वीकार की गई

Shri Padmesh Shah
Additional Director, MPSJA